न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.   / 2015   पुनरीक्षण   निगरानी 1101-II-15

चंद्रिका प्रसाद पुत्र श्री तिलकधारी राम महापात्र
निवासी ग्राम शाहपुर तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

गुलाबशंकर पुत्र श्री तिलकधारी राम महापात्र
निवासी ग्राम शाहपुर तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि. 15.5.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15-5-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 15-5-15 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.कं. अपंजीकृत/ पुनर्विलोकन / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17.3.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 17.3.2015 अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त आराजी ख.नं. 142/2 रकवा 0.74 में से 0.49 ए. आवेदक को तथा 0.25 ए. अनावेदक को इसी प्रकार ख.नं. 501 रकवा 2/3 आवेदक को तथा 1/3 अनावेदक को आपसी समझौता बअनुसार अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रचलित निगरानी प्र.कं. 631/निग./07–08 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1101–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	आवेदक अभिभाषक प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक अपंजीकृत/पुनर्विलोकन/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–3–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौत के आधार पर अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 19–7–3 को प्रकरण का निराकरण हो चुका था। जिसके पालन में तहसील न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में आवेदक व अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया। परन्तु अनावेदक द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन करने में वैधानिक त्रुटि की है क्योंकि राजीनामे के आधार पर किये गये आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी/पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन को स्वीकार करते हुये पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त की जाये। 4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक चन्द्रिका प्रसाद ने अपर कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 20–12–07 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जिसके प्रचलित रहते दिनांक	

19–7–13 को उभय पक्ष की ओर से एक राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19–7–13 को राजीनामे के आधार पर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया। अपर आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 17–3–15 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि राजीनामा आवेदन न्यायालय के समक्ष कपटपूर्वक ढंग से छुपाकर पेश किया गया एवं इस न्यायालय में भूमि खसरा नं. 142/2 रकवा 0.74 ए0 एवं खसरा नं0 501 रकवा 0.99ए. का विवाद था। जबकि राजीनामा आवेदन में 13 किता भूमि की पुल्ली प्रस्तुत की गई तथा जो भूमि ग्राम सिकरो, परगना खैरागढ की राजीनामा में अंकित की गई थी वे भूमियां पूर्व में विकित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20–12–07 पर पुनः विचार कर गुण–दोष पर निर्णय लिया जाना आवश्यक माना। अपर आयुक्त द्वारा उक्त पुनर्विलोकन को आवेदन को सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19–7–13 निरस्त किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर सुनवाई हेतु रिकार्ड प्राप्त कर अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। राजीनामा में प्रश्नांकित भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों को शामिल कर अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से तथ्यों को छुपाकर कपटपूर्वक हस्ताक्षर कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसको अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है। अपर आयुक्त ने संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत किसी नये वैधानिक बिन्दुओं का विचार क्षेत्र में आने के कारण पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया गया है। चूंकि निगरानी प्रकरण में अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश पर किसी

प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया था इसलिए अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु नियत किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नजर नहीं आती है जिसको इस निगरानी में हस्तक्षेप किया जाये। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है जहां वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 17–3–15 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य